रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4

लाइसेंस नं० डब्ल्यू० पी०—41

(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 22 जुलाई, 2006 ई० (आषाढ़ 31, 1928 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रुई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस जनपद की तहसील भिनगा में कार्यरत संग्रह अमीन श्री रंजीत कुमार को निर्गत मुख्य देय की रसीद बही तथा विविध देय की रसीद बही जिनका विवरण अधोवर्णित है, दिनांक 27 अप्रैल, 2006 को खो गयी है। इन रसीद बहियों के खो जाने की सूचना थाना कोतवाली भिनगा, जनपद श्रावस्ती में दिनांक 29 अप्रैल, 2006 को दर्ज करा दी गयी है।

क्रम सं०	नाम अमीन जिसे रसीद बही जारी हुई	रसीद बही का प्रकार	रसीद बही में उपलब्ध प्रतिपर्ण की सं0			
			प्रयोग शुदा		बिना प्रयोग शुदा (दो पट में)	
			नं0 से	नं0 तक	नं0 से	नं0 तक
1	2	3	4	5	6	7
	सर्वश्री:—					
1	रंजीत कुमार	मुख्य देय	0422801	0422860	0422861	0422900
2	रंजीत कुमार	विविध देय	1304101	1304170	1304171	1300200

उपरोक्त रसीद बहियों के बिना प्रयोगशुदा प्रतिपर्णों को अनधिकृत घोषित किया जाता है। इन प्रतिपर्णों का प्रयोग अवैधानिक होगा तथा इनके माध्यम से किये जाने वाले किसी भी भुगतान को राजस्व विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि उक्त रसीद बहियां किसी व्यक्ति को मिले तो वह उसकी सूचना तत्काल अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

ह0 (अस्पष्ट),
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),
श्रावस्ती।

दिनांक 16 मई, 2006 ई0

नगर निगम, कानपुर

अधिसूचना

29 मार्च, 2006 ई0

सं0 17041319--नगर निगम, कानपुर ने उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 296, 298, 302, 541 (42) के अन्तर्गत नगर निगम की सेवाओं/संसाधनों के प्रयोग के लिए यूजर चार्जेज (User Charges) उप विधियां तैयार की हैं जो प्रस्ताव संख्या 01 के अन्तर्गत प्रशासक द्वारा दिनांक 28 जनवरी, 2006 द्वारा प्रशासक से अनुमोदन उपरान्त सर्वसाधारण के सूचनार्थ तथा आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित की गई थी। उक्त उपविधि, यथा आवश्यक संशोधन करने के उपरान्त प्रस्ताव संख्या 02, दिनांक 11 मार्च, 2006 अन्तिम रूप से स्वीकृत है जो गजट में प्रकाशन के दिनांक से नगर निगम कानपुर की सीमान्तर्गत क्षेत्र से प्रभावी होगी।

यूजर चार्जेज उप विधि

1--यह उपविधि सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2--परिभाषायें :--

(1) नगर निगम--नगर निगम का तात्पर्य नगर निगम कानपुर से है।

(2) यूजर चार्जेज क्षेत्र--यूजर चार्जेज क्षेत्र से तात्पर्य नगर निगम कानपुर की सीमा से है व भविष्य में विस्तारण के फलस्वरूप संशोधित सीमायें इसमें सम्मिलित मानी जायेंगी।

(3) नगर आयुक्त--नगर आयुक्त का तात्पर्य नगर निगम, कानपुर के नगर आयुक्त से है।

(4) प्राधिकृत अधिकारी--प्राधिकृत अधिकारी से तात्पर्य नगर निगम कानपुर के उन अधिकारियों से है जिसे नगर आयुक्त समय-समय पर इन उप विधियों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अधिकृत करें।

(5) यूजर चार्जेज शुल्क--यूजर चार्ज का तात्पर्य उस चार्ज से है जो नगर निगम की सीमा में नगर आयुक्त अथवा प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति के अन्तर्गत नगर निगम की किन्हीं सेवाओं/संसाधनों के प्रयोग के बदले वसूल किया जायेगा।

(6) यूजर चार्ज इस शुल्क उप विधि के नियम 10 के अन्तर्गत दर्शायी तालिका में उल्लिखित दरों के अनुसार वसूल किया जायेगा।

(7) यूजर चार्ज,, नगर निगम के कर्मचारी या इस कार्य हेतु निर्धारित एजेन्सी द्वारा वसूल किया जायेगा। बिना रसीद के कोई शुल्क प्राप्त नहीं किया जावेगा। रसीद में दिनांक, मास व वर्ष एवं अवधि का स्पष्ट उल्लेख होगा। शुल्क भुगतान कर्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह रसीद को अपने पास सुरक्षित रखे और नगर निगम के पदाधिकारियों एवं अधिकार प्राप्त कर्मचारियों के मांगने पर तुरन्त प्रस्तुत करें। ऐसे अधिकारी निरीक्षण के उपरान्त रसीद वापस कर देंगे। निगम के कर्मचारी द्वारा लिया गया शुल्क अगले कार्य-दिवस में प्रत्येक दशा में निगम कोष में जमा किया जायेगा। जिसका चेकिंग समय-समय पर नगर आयुक्त/उनके द्वारा नामित अधिकारी अथवा लेखाधिकारी द्वारा की जाया करेगी।

(8) यूजर चार्जेज, पार्किंग हेतु भूमि के प्रयोग, ग्रीन बेल्ट हेतु प्रयुक्त भूमि के प्रयोग, आवासीय/अनावासीय भवनों के परिसर से डस्टबीन से कूड़ा उठाने की व्यवस्था, सार्वजनिक उपयोग की उच्च श्रेणी की जन सुविधायें जैसे--शौचालय व पेशाब घर के प्रयोग, जेनरेटर के लिये भूमि प्रयोग, मनोरंजन स्थल एवं हरियाली क्षेत्रों के प्रयोग एवं उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार के भू-प्रयोग के लिये वसूल किया जायेगा।

(9) यूजर चार्जेज, भुगतान न करने की दशा में, नगर आयुक्त या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को इन उप विधि में वर्णित की गई दरों के अनुसार देय धनराशि के अतिरिक्त उसका बीस गुना तक शमन शुल्क (कम्पाउंडिंग फीस) वसूल करने का अधिकार होगा।

10--नगर निगम की सेवाओं/संसाधनों के प्रयोग के लिये निर्धारित यूजर चार्ज

10--(क) पार्किंग हेतु यूजर चार्ज

10 (क) (1) विशिष्ट श्रेणी क्षेत्र के लिए--स्वरूप नगर, आर्य नगर, माल रोड, नवीन मार्केट, चौक सर्राफा, गुमटी नं0 5, मेस्टन रोड, सिविल लाइन्स --

क्र0 संख्या	पार्क किये जाने वाले वाहन का प्रकार	प्रस्तावित शुल्क	
		शापिंग काम्प्लेक्स/ मनोरंजन स्थल के लिये निर्धारित पार्किंग	होटल/नर्सिंग होम/ कोचिंग सेन्टर/मैरिज हाल/शैक्षिक संस्थान/ कार्यालय/अन्य के लिये निर्धारित पार्किंग
1	2	3	4
क	साइकिल	3.00 रु0 प्रति प्रयोग 2 घंटे के लिये	2.00 रु0 प्रति प्रयोग 2 घंटे के लिये ।
ख	स्कूटर/मोटर बाइक/यंत्र चालित दो पहिया वाहन	5.00 रु0 प्रति प्रयोग 2 घंटे के लिये	3.00 रु0 प्रति प्रयोग 2 घंटे के लिये ।
ग	तीन पहिया वाहन जैसे--टैम्पो/थ्री व्हीलर	8.00 रु0 प्रति प्रयोग 2 घंटे के लिये	5.00 रु0 प्रति प्रयोग 2 घंटे के लिये ।
घ	चार पहिया [illegible] छोटी श्रेणी, जैसे-- जीप, कार, टैक्सी अन्य	15.00 रु0 प्रति प्रयोग 2 घंटे के लिये	10.00 रु0 प्रति प्रयोग 2 घंटे के लिये ।
ङ	चार पहिया के व्यावसायिक वाहन-मध्यम श्रेणी, जैसे--मिनी बस, मिनी ट्रक, छोटी क्रेन आदि	20.00 रु0 प्रति प्रयोग 2 घंटे के लिये	15.00 रु0 प्रति प्रयोग 2 घंटे के लिये ।
च	चार पहिया के बड़े वाहन, जैसे--बस, ट्रक, क्रेन आदि	25.00 रु0 प्रति प्रयोग 2 घंटे के लिये	20.00 रु0 प्रति प्रयोग 2 घंटे के लिये ।

10 (क) (2) प्रथम श्रेणी क्षेत्र के लिए--बिरहाना रोड, नयागंज, कलेक्टरगंज, नई सड़क, हालसी रोड, मूलगंज, परेड, लाटूश रोड, नाचघर, दालमण्डी, कराचीखाना, कोपरगंज, जनरलगंज, काहूकोठी, कुरसवां, नौघड़ा, शिवाला, चुन्नीगंज, कुली बाजार, घुमनी मोहाल, केनाल पटरी, मनीराम बगिया, हर्ष नगर, अशोक नगर, चुन्नीगंज, 80 फिट रोड, बेकनगंज, कर्नलगंज, चमनगंज, ट्रान्सपोर्ट नगर, ढकनापुरवा, बांसमण्डी, विद्यार्थी मार्केट, चावला मार्केट, कबाड़ी मार्केट, कौशलपुरी, काकादेव समस्त ब्लाक, लाजपत नगर, फजलगंज, [illegible] रोड, मन्नीपुरवा, गोविन्द नगर समस्त ब्लाक, बी0 एम0 मार्केट ।

क्र0 सं0	पार्क किये जाने वाले वाहन का प्रकार	प्रस्तावित शुल्क	
		शापिंग काम्प्लेक्स/मनोरंजन स्थल के लिए निर्धारित पार्किंग	होटल/नर्सिंग होम/ कोचिंग सेन्टर/मैरिज हाल/शैक्षिक संस्थान/कार्यालय/अन्य के लिए निर्धारित पार्किंग
1	2	3	4
क	साइकिल	3.00 रु0 प्रति प्रयोग 4 घन्टे के लिए	2.00 रु0 प्रति प्रयोग 4 घन्टे के लिए

1	2	3	4
ख	स्कूटर/मोटर बाइक/यन्त्र चालित दो पहिया वाहन	5.00 रु० प्रति प्रयोग 4 घन्टे के लिए	3.00 रु० प्रति प्रयोग 4 घन्टे के लिए ।
ग	तीन पहिया वाहन जैसे—टैम्पो/थ्री व्हीलर	8.00 रु० प्रति प्रयोग 4 घन्टे के लिए	5.00 रु० प्रति प्रयोग 4 घन्टे के लिए ।
घ	चार पहिया वाहन—छोटी श्रेणी जैसे—जीप, कार, टैक्सी, अन्य	15.00 रु० प्रति प्रयोग 4 घन्टे के लिए	10.00 रु० प्रति प्रयोग 4 घण्टे के लिए ।
ङ	चार पहिया के व्यावसायिक वाहन—मध्यम श्रेणी जैसे—मिनी बस, मिनी ट्रक; छोटी क्रेन आदि	20.00 रु० प्रति प्रयोग 4 घन्टे के लिए	15.00 रु० प्रति प्रयोग 4 घन्टे के लिए ।
च	चार पहिया के बड़े वाहन जैसे—बस, ट्रक, क्रेन आदि	25.00 रु० प्रति प्रयोग 4 घन्टे के लिए	20.00 रु० प्रति प्रयोग 4 घन्टे के लिए ।

10 (क) (3) द्वितीय श्रेणी क्षेत्र के लिये—नेहरू नगर, आनन्द बाग, पी० रोड, गांधी नगर, सीताराम मोहाल, रामनारायन बाजार, हरबंश मोहाल, सब्जी मण्डी, कंघी मोहाल, रामकृष्ण नगर सीसामऊ, नेहरू नगर, ग्वालटोली, रामबाग, प्रेम नगर, किदवई नगर, बारादेवी, सब्जीमण्डी, सरोजनी नगर, दर्शनपुरवा, जरीबचौकी, नरायनपुरवा, शास्त्री नगर, कारवालों नगर, झकरकटी, अनवरगंज, आचार्य नगर, रायपुरवा रावतपुर, कल्यानपुर सी ब्लाक, विजय नगर :

क्र० सं०	पार्क किये जाने वाले वाहन का प्रकार	प्रस्तावित शुल्क	
		शापिंग काम्पलेक्स/मनोरंजन स्थल के लिए निर्धारित पार्किंग	होटल/नर्सिंग होम/कोचिंग सेन्टर/मैरिज हाल/शैक्षिक संस्थान/कार्यालय/अन्य के लिये निर्धारित पार्किंग
1	2	3	4
क	साइकिल	3.00 रु० प्रति प्रयोग 8 घंटे के लिये	2.00 रु० प्रति प्रयोग 8 घंटे के लिये ।
ख	स्कूटर/मोटर बाइक/यंत्र चालित दो पहिया वाहन	5.00 रु० प्रति प्रयोग 8 घंटे के लिये	3.00 रु० प्रति प्रयोग 8 घंटे के लिये ।
ग	तीन पहिया वाहन जैसे—टैम्पो/थ्री व्हीलर	8.00 रु० प्रति प्रयोग 8 घंटे के लिये	5.00 रु० प्रति प्रयोग 8 घंटे के लिये ।
घ	चार पहिया वाहन छोटी श्रेणी जैसे—जीप, कार, टैक्सी, अन्य	15.00 रु० प्रति प्रयोग 8 घंटे के लिये	10.00 रु० प्रति प्रयोग 8 घंटे के लिये ।

1	2	3	4
ङ	चार पहिया के व्यवसायिक वाहन-- मध्यम श्रेणी जैसे--मिनी बस, मिनी ट्रक, छोटी क्रेन आदि	20 रु० प्रति प्रयोग 8 घंटे के लिये ।	15 रु० प्रति प्रयोग 8 घंटे के लिये
च	चार पहिया के बड़े वाहन जैसे--बस, ट्रक, क्रेन आदि	25 रु० प्रति प्रयोग 8 घंटे के लिये ।	20 रु० प्रति प्रयोग 8 घंटे के लिये ।

10 (क) (4) अन्य श्रेणी के लिये--उपरोक्त प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणी में उल्लिखित क्षेत्रों को छोड़कर शेष अन्य क्षेत्र--

क्र० सं०	पार्क किये जाने वाले वाहन का प्रकार	प्रस्तावित शुल्क	
		शापिंग काम्पलेक्स/मनोरंजन स्थल के लिए निर्धारित पार्किंग	होटल/नर्सिंग होम/कोचिंग सेन्टर/मैरिज हाल/शैक्षिक संस्थान/कार्यालय/अन्य के लिए निर्धारित पार्किंग
1	2	3	4
		रु० प्रतिदिन	रु० प्रतिदिन
क	साइकिल	3.00	2.00
ख	स्कूटर/मोटर बाइक/यन्त्र चालित दो पहिया वाहन	5.00	3.00
ग	तीन पहिया वाहन जैसे--टैम्पो/थ्री व्हीलर	8.00	5.00
घ	चार पहिया वाहन--छोटी श्रेणी के जैसे--जीप, कार, टैक्सी अन्य	15.00	10.00
ङ	चार पहिया के व्यवसायिक वाहन-- मध्यम श्रेणी जैसे--मिनी बस, मिनी ट्रक, छोटी क्रेन आदि	20.00	15.00
च	चार पहिया के बड़े वाहन जैसे--बस, ट्रक, क्रेन आदि	25.00	20.00

10 (ख) अन्य प्रकार के भू प्रयोग/सुविधाओं के लिए वेय यूजर चार्ज--

क्रम संख्या	मद	दर
		रु0
अ	क--उच्च श्रेणी के जन शौचालयों ख--उच्च श्रेणी के पेशाब घर के प्रयोग के लिए	5.00 प्रति प्रयोग 1.00 प्रति प्रयोग
ब	क--05 हार्स पावर तक के जनरेटर के भूमि प्रयोग के लिए (अनुमति प्राप्त करनी होगी)	100.00 प्रति माह
	ख--05 हार्स पावर से अधिक तक के जनरेटर के भूमि प्रयोग के लिए (अनुमति प्राप्त करनी होगी)	200.00 प्रति माह
स	मनोरंजन स्थल/हरियाली क्षेत्रों का प्रयोग	5.00 प्रति प्रयोग (12 वर्ष से अधिक आयु के लिये)
द	उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार के भू प्रयोग के लिए	5.00 रु0 से 25.00 रु0 प्रति वर्ग मीटर तक उपयोग के अनुसार प्रतिदिन

10 (ग) ग्रीन बेल्ट हेतु भू-प्रयोग--

मद	दर		
	आवासीय	व्यवसायिक	संस्थागत
ग्रीन बेल्ट हेतु भू-प्रयोग। (2 वर्ग मीटर से अधिक चौड़ाई की अनुमति सड़क के किनारे की पटरी पर नहीं दी जायेगी)	20 रु0 प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष	30 रु0 प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष	25 रु0 प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष।

10 (घ) आवासीय/अनावासीय भवनों के परिसर से कूड़ा उठाने की व्यवस्था--

मद	दर			
	दो मंजिल तक एकल स्वामी		बहुमंजिले दो मंजिले से अधिक के बहुस्वामी फ्लैट	
	लिफ्ट रहित	लिफ्ट सहित	लिफ्ट रहित	लिफ्ट सहित
1	2	3	4	5
क--आवासीय भवनों के परिसर के कूड़ा-दानों से कूड़ा उठाने की व्यवस्था हेतु	30 रु0 प्रति परिवार प्रति माह	40 रु0 प्रति परिवार प्रति माह	40 रु0 प्रति परिवार प्रति माह	50 रु0 प्रति परिवार प्रति माह

1	2	3	4	5
ख--अनावासीय भवनों के परिसर के कूड़ाघरों से कूड़ा उठाने की व्यवस्था हेतु ।	2 रु० प्रति वर्ग मीटर आच्छादित क्षेत्र प्रतिमाह प्रति संस्था किन्तु न्यूनतम 30 रु० प्रतिमाह प्रति संस्था (20 वर्ग मीटर आच्छादित क्षेत्र तक)	2.50 रु० प्रति वर्ग मीटर आच्छादित क्षेत्र प्रतिमाह प्रति संस्था किन्तु न्यूनतम 40 रु० प्रतिमाह प्रति संस्था (20 वर्ग मीटर आच्छादित क्षेत्र तक)	2.50 रु० प्रति वर्ग मीटर आच्छादित क्षेत्र प्रतिमाह प्रति संस्था किन्तु न्यूनतम 40 रु० प्रतिमाह प्रति संस्था (20 वर्ग मीटर आच्छादित क्षेत्र तक)	3.00 रु० प्रति वर्ग मीटर आच्छादित क्षेत्र प्रतिमाह प्रति संस्था किन्तु न्यूनतम 50 रु० प्रतिमास प्रति संस्था (20 वर्ग मीटर आच्छादित क्षेत्र तक)

शास्ति

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 550 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगर निगम निश्चित करती है कि इस उप विधि के किसी भी नियम का उल्लंघन करना दण्डनीय अपराध होगा जो रु० 500.00 तक हो सकता है और निरन्तर बने रहने की दशा में अतिरिक्त अर्थ दण्ड से देय होगा जो सर्वप्रथम दोष सिद्धि के दिनांक या नगर आयुक्त अथवा निगम के किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिये गये लिखित नोटिस के दिनांक से प्रत्येक दिवस के लिये जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये जिसमें अपराधी अपराध करता रहा है रु० 20.00 (बीस) प्रतिदिन अर्थ दण्ड लिया जायेगा ।

अरविन्द सिंह,
नगर आयुक्त ।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, हापुड़

24 जून, 2006 ई०

सं० 159/23/लाइसेन्स/2006-07--नगर पालिका परिषद्, हापुड़ जिला गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 298 (जे) (डी) के अन्तर्गत पालिका सीमा में लागू मोटर गाड़ियों को खड़ी करने की उपविधि जो विज्ञप्ति संख्या 1678/23-40-58-59 दिनांक 16 फरवरी, 1961 से लागू है जो समय-समय पर संशोधित होकर विज्ञप्ति संख्या 1577/21-1120/88-90 दिनांक 25 जून, 1994 से प्रभावी व प्रचलित है । उपरोक्त उपविधि पार्किंग शुल्क/बस अड्डा शुल्क की दरों में प्रस्तावित संशोधित दरों के बारे में विधिवत आधार पर आपत्तियां आमन्त्रित की गई थी । जिनका प्रकाशन दैनिक जागरण व जय यात्रा साप्ताहिक समाचार पत्रों में कराया गया था । इस हेतु सवारियों को ले जाने वाली बड़ी गाड़ियां 30 से अधिक सीट वाली बसों के सम्बद्ध दो आपत्तियां प्राप्त हुई थी । जिनको प्रशासक महोदय के आदेश दिनांक 17 मई 2006 को सुनवाई कर के इन आपत्तियों का निस्तारण कर दिया गया था, अन्य कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई थी । अतः उक्त प्रस्तावित संशोधित दरों का अन्तिम रूप से स्वीकृति श्री संजय चौहान प्रशासक नगर पालिका परिषद् हापुड़ द्वारा प्रदान कर दी गई है । उक्त एक्ट की धारा 301 (2) के प्रयोजनार्थ यह दरें एतद्द्वारा प्रकाशित की जाती है । संशोधित दरें गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी ।

अनुसूची (अ)

स्तम्भ 1	स्तम्भ 2
	संशोधित दरें
पूर्व से प्रचलित दर प्रति वाहन प्रतिदिन	संशोधित दरें प्रति वाहन प्रतिदिन
1--सवारियों को ले जाने वाली सार्वजनिक एवं निजी मोटर गाड़ियों बस आदि .. 3.50 पै०	1--सवारियों को ले जाने वाले बड़े वाहन सार्वजनिक एवं निजी गाड़िया व बस आदि
15.00 रु० प्रति माहवार	(अ) बड़ी गाड़ियां 30 से अधिक सीट वाली .. 20 रुपये
2--ठेले एवं किराये पर चलने वाले सार्वजनिक तथा निजी मोटर गाड़ियों बस आदि .. 6.00 रु० प्रतिदिन	2--सामान ढोने वाले बड़े वाहन (अ) डम्पर, कार्गो ट्रक, लिलैण्ड ट्रक, लम्बे ट्रक लम्बे ट्रक/ट्रेलर 16 पहिए वाले टैंकर .. 30 रुपये (ब) ट्रक, टैम्पो, टैंकर व अन्य वाहन 10 टन तक का वजन ले जाने वाले .. 20 रुपये
3--मोटरकार, मिनी बस, मोटरवाहन, टैक्सी आदि जो किराये, ठेके पर चलती हो .. 4.00 रु० प्रतिदिन	3--सवारियां ले जाने वाले छोटे वाहन (अ) मिनी बस/मोटर गाड़ियां 15 से 30 सीटों तक .. 15 रुपये (ब) कारें, टैक्सी, मेटाडोर व अन्य प्राइवेट गाड़ियां .. 10 रुपये (स) स्कूटर मोटर साइकिल आदि .. 3 रुपये
4--माल ढोने के सार्वजनिक एवं निजी व ठेके पर चलने वाले मोटर, ठेले व अन्य इसी प्रकार अन्य वाहन .. 4.00 रु० प्रतिदिन	4--सामान ढोने वाले छोटे वाहन (अ) मिनी ट्रक, टैम्पो, ट्राली, थ्री व्हीलर आदि .. 15 रुपये
नोट--शुल्क की उपरोक्त निर्धारित दरों में संशोधित अनुसूची के प्रवर्तन के दिनांक से प्रत्येक पांच वर्ष की अवधि व्यतीत होने पर 0.50 पैसे प्रतिवाहन प्रतिदिन की दर से वृद्धि पालिका के विशेष संकल्प द्वारा की जा सकेगी।	नोट--शुल्क की उपरोक्त निर्धारित दरों में संशोधित अनुसूची के प्रवर्तन के दिनांक से प्रत्येक पांच वर्ष की अवधि व्यतीत होने पर 50 प्रतिशत प्रतिवाहन प्रतिदिन की दर से वृद्धि पालिका के विशेष संकल्प द्वारा की जा सकेगी।

संजय चौहान,
पी० सी० एस०,
प्रशासक,
नगर पालिका परिषद्, हापुड़।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पार्टनरशिप फर्म "मैसर्स सिंह ट्रेडर्स बट्सगंज, जिला सीतापुर का नया कार्यालय ग्राम इमलीपुर कछौना, जिला हरदोई हो गया है फर्म के पुराने पार्टनर, श्री अशोक सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह, निवासी 1/317, आवास विकास कालोनी, सीतापुर व राम सहाय गोंड़, निवासी लोहार बाग, जिला सीतापुर फर्म की साझेदारी से अपनी स्वेच्छा से अलग हो गये एवं नये पार्टनर, राजेश कुमार पुत्र श्री कृष्ण कुमार, निवासी 724, सिविल लाइन्स, उन्नाव अपनी स्वेच्छा से दिनांक जुलाई, 2006 को सम्मिलित कर लिया गया है तथा दिनांक जुलाई, 2006 को ही अशोक सिंह व राम सहाय गोंड को फर्म की साझेदारी से अलग हो गये हैं अब इस फर्म से इनका कोई लेना देना नहीं है।

मैं तद्द्वारा यह भी प्रमाणित करता हूं कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक एवं औपचारिकताओं का स्वयं मेरे द्वारा पालन किया गया है।

दिनांक 14 जुलाई, 2006 ई० राजेश कुमार सिंह,
पार्टनर,
मेसर्स सिंह ट्रेडर्स,
पता इमलीपुर कछौना,
जिला हरदोई।

पी०एस०यू०पी०--17 हिन्दी गजट--भाग 8--2006 ई०

मुद्रक और प्रकाशक--निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।